महत्वपूर्ण एवं खास

तीन तहसीलदार बदले, कलेक्टर रानू साहू ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने तीन तहसीलदारों के कार्यभार में फेरबदल किया है। जिसके तहत सारंगढ़ के तहसीलदार लोमश कुमार मिरी अब रायगढ़ के तहसीलदार होंगे। वहीं रायगढ़ में पदस्थ तहसीलदार नंद किशोर सिन्हा को पुसौर तथा पुसौर के तहसीलदार शनि पैकरा को सारंगढ़ का तहसीलदार बनाया गया है।

बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर का प्रशिक्षण आज

रायगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के लिए 8 अगस्त 2022 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16 रायगढ़ (शहरी) मतदान केंद्र 01 से 113 तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एवं बीएलओ सुपरवाइजर का प्रशिक्षण होगा। यह प्रशिक्षण दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक पंजरीप्लांट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। नगर निगम रायगढ़ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सभी बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

लैलूंगा बाजार के पास 10 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 06.08.2022 के सुबह थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम को मुखबिर से सूचना मिला कि पत्थलगांव का एक व्यक्ति बैग में महुआ शराब लेकर बिक्री करने आया है जिसे लैलूंगा बाजारपारा के पास घूमते देखा है। थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा थाने के सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम के हमराह स्टाफ शराब रेड कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीम लैलूंगा बाजारपारा जाकर संदेही को आसपास तलाश किया गया जो बाजारडांड के पास एक काले रंग के बैग पकड़े घूमता मिला संदेही से पूछताछ करने पर अपना नाम गंगाराम चौहान पिता कलमू चौहान उम्र 40 वर्ष निवासी झगरपुर थाना लैलूंगा हाल मुकाम शिवपुर थाना पत्थलगांव बताया। संदेही के बैग को चेक करने पर बैग अंदर दो 5-5 लीटर का जरकिन मिला जिसमें महुआ शराब करीब 10 लीटर कीमती 1000 रुपए का भरा हुआ था। आरोपी गंगाराम चौहान से शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बिक्री करने लाना बताया जिससे अवैध शराब की जब्ती कर आरोपी पर थाना लैलूंगा में धारा 34(2),59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। शराब रेड कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी, आरक्षक जोन टोप्पो की अहम भूमिका रही है।

छत्तीसगढ़ में 24 घटे के भीतर मिले 435 कोरोना के नए मरीज़

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक फिर डरा रहा है। शुक्रवार को यहां कोरोना वायरस के 435 नए मामले सामने आए हैं, जहां पॉजिटिव रेट 4.24 प्रतिशत है वहीं संक्रमितों की संख्या 11,68,437 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या तीन बढक़र 14,075 हो गई है। छत्तीसगढ़ में इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढक़र 3513 पहुंच गई है। अधिकारी ने कहा कि रायपुर में 76 मामले सामने आए, इसके बाद राजनांदगांव में 38, बालोद में 37, दुर्ग में 30, रायगढ़ में 24 और बिलासपुर में 15 मामले सामने आए। कोरोना से रायपुर में 2 और बस्तर जिले में 1 मरीज की मौत भी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 406 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया है। वहीं 22 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। साथ ही बताया कि 10,248 स्वाब नमूनों की जांच के साथ, राज्य में अब तक किए गए परीक्षणों की संख्या 1,82,90,488 हो गई है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्कृष्ट गौठान होंगे पुरस्कृत

- राज्य के तीन उत्कृष्ट गौठानों को 50-50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि
- प्रत्येक जिले के एक-एक उत्कृष्ट गौठान को 25-25 हजार रूपए का पुरस्कार
- राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर गठित समिति करेगी उत्कृष्ट गौठानों का चयन
- उत्कृष्ट गौठान चयन के लिए 100 अंक का मापन संकेतक निर्धारित

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य एवं जिला स्तर पर उत्कृष्ट गौठानों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा उत्कृष्ट गौठानों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के तीन सर्वश्रेष्ठ गौठानों को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में 50-50 हजार रूपए का पुरस्कार तथा प्रत्येक जिले के एक-एक उत्कृष्ट गौठानों को 25-25 हजार रूपए का पुरस्कार जिला स्तरीय समारोह में प्रदान किया जाएगा। समारोह में उत्कृष्ट गौठान से संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं गौठान समिति के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि द्वारा शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित भी किया जाएगा। उत्कृष्ट गौठानों को पुरस्कृत करने हेतु 10 लाख रूपए का अनुमोदन गोधन न्याय मिशन की बैठक में किया जा चुका है।

कृषि विभाग ने उत्कृष्ट गौठानों के चयन के लिए बुनियादी ढ़ांचा, गोबर क्रय एवं कम्पोस्ट उत्पादन, विविध आजीविका एवं स्वावलंबन को आधार मानते हुए इसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए हैं। बुनियादी ढांचा के अंतर्गत गौठानों में पानी, विद्युत, शेड, कोटना निर्माण, सोलर पम्प, फेंसिंग सहित जियो टैगिंग के लिए अधिकतम 7 अंक निर्धारित किया गया है। गौठानों में गोबर क्रय एवं कम्पोस्ट उत्पादन के अंतर्गत गोबर की सक्रिय खरीदी, मात्रा, सक्रिय गोबर विक्रेता, वर्मी टांकों की उपलब्धता, गोबर से कम्पोस्ट रूपांतरण का अनुपात, उत्पादन के विरूद्ध वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय एवं मानक नमूनों के प्रतिशत के लिए अधिकतम 71 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि गौठानों में आजीविकामूलक गतिविधियों तथा महिला समूह के प्रति सदस्य की औसत आय पर अधिकतम 12 अंक तथा स्वावलंबी गौठान द्वारा गोबर क्रय हेतु किए गए भुगतान की किश्त संख्या के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है।

उत्कृष्ट गौठान चयन के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समिति गठित की गई है, जिसके द्वारा उत्कृष्ट गौठानों का चयन गोधन न्याय योजना पोर्टल/जीमैप में प्रविष्टि आंकड़ों के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप करके निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाएगा। जिला स्तर पर एक गौठान को पुरस्कृत करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर से एक-एक उत्कृष्ट गौठान में से दो उत्कृष्ट गौठानों का चयन कर जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण एवं मूल्यांकन कर पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तर पर चयनित उत्कृष्ट गौठान का राज्य स्तर पर चयन होने की स्थिति में जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट गौठान जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

राज्य स्तर पर तीन गौठानों को पुरस्कृत करने के लिए जिला स्तर पर चयनित दो-दो उत्कृष्ट गौठानों के नाम को कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक कृषि की अध्यक्षता में गौठानों के निरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु गठित समिति को भेजा जाएगा। संभाग स्तरीय समिति द्वारा कृषि संचालनालय को 7 अगस्त तक उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव ही मान्य होंगे। संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा संभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा से प्राप्त उत्कृष्ट गौठानों में से राज्य स्तर हेतु तीन उत्कृष्ट गौठानों का चयन करेगी और प्रशासकीय अनुमोदन के लिए सूची 8 अगस्त तक शासन को उपलब्ध कराएगी।

हर घर तिरंगा अभियान: महिला समूह तैयार कर रही झंडे

- कलेक्टर साहू ने अभियान की तैयारी के लिए अधिकारियों को दिए हैं निर्देश
- 11 से 17 अगस्त तक चलेगा झंडा अभियान

रायगढ़। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को सम्पूर्ण भारतवर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में हर नागरिक के मन में राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए 11 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगाÓ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर रानू साहू के मार्गदर्शन में जिले में अभियान के लिए तैयारी की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा को अभियान के लिए जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है।

महिला समूहों को भी अभियान से जोड़ा गया है। विकासखंडों में महिला समूह झंडे तैयार कर रही हैं। अभियान में नागरिकों की सहभागिता के साथ सभी शासकीय कार्यालयों व भवनों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं में भी झंडा फहराया जाएगा। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें 10 हजार 583 पंचायत वार्ड, 886 उचित मूल्य की दुकानों, 3 हजार 141 स्कूल, 3 हजार 408 आंगनबाड़ी केन्द्र, 367 वन प्रबंधन समिति, 395 प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 117 बैंक शाखा, 192 आश्रम छात्रावास, 483 पटवारी व आरआई कार्यालय में झंडे फहराए जायेंगे। इसके साथ ही जिले के पुलिस थाना एवं चौकियों, सहकारी समितियों, धान खरीदी केंद्रों, जिले के उद्योगों व कॉलेजों में भी झंडा फहराया जाएगा। अभियान के लिए विविध प्रकार के आयोजन किए जायेंगे।

अभियान का हिस्सा बनकर हैं उत्साहित

हर घर तिरंगा अभियान के लिए पुसौर में परी स्व-सहायता समूह की महिलाएं झंडे तैयार कर रही हैं। समूह की 4 महिला सदस्य इस कार्य में लगी हुई है। ये महिलाएं बताती हैं कि वे अभियान का हिस्सा बन कर काफी उत्साहित हैं।

डस्टर कार में सराई चिरान रखकर ग्राहक तलाश कर रहे दो व्यक्ति गिरफ्तार

- वाहन में रखे 22 नग चिरान और डस्टर वाहन जब्त

रायगढ़। दिनांक 05.08.2022 को मुखबीर द्वारा चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम को सूचना दिया कि मौहापाली चौक बायपास रोड खरसिया पर खड़ी डस्टर वाहन में सरई लकड़ी का पल्ला लोड है, लकड़ी को गाड़ी में रखकर दो व्यक्ति लकड़ी बिक्री के लिए आसपास ग्राहक तलाश कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ बाईपास रोड पर घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया एक व्यक्ति अपना नाम धनेश भारद्वाज पिता मयाराम भारद्वाज उम्र 30 साल निवासी भिखमपुरा सारंगढ़ हाल मुकाम नवापारा थाना छाल तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम लच्छन सतनामी पिता साधराम शांडिल्य उम्र 31 साल निवासी सारसमार थाना छाल बताया लकड़ी के संबंध में पूछताछ करने पर लच्छन बताया कि उसने गांव के जंगल से सरई पेड़ को काटकर लकड़ी का पल्ला चिरान बनाकर ग्राम सारसमार जंगल में छिपाकर रखा था और लकड़ी को बिक्री के लिए धनेश भारद्वाज से बात कर उसके डस्टर वाहन में लेकर खरसिया बिक्री के लिए लाए थे। दोनों के कब्जे से वाहन में लोड 22 नग सराई लकड़ी का चिरान कीमती करें 14,800 रुपए एवं पुरानी डस्टर वाहन CG 13 W 2864 कीमत 5,00,000 रुपए जुमला 5,14,800 रुपए का जप्त किया गया। दोनों के कथनों से सराई लकड़ी चोरी की संपत्ति के संदेह पर डस्टर वाहन मय चिरान धारा 102 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर जप्त कर माल वन परीक्षेत्र अधिकारी खरसिया के सुपुर्दअग्रिम कार्यवाही के लिए दिया गया। आरोपियों की घेराबंदी रेड कार्यवाही में चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम के साथ प्रधान आरक्षक मनोज मरावी, महेंद्र खरे, शंकर क्षत्रिय, अशोक देवांगन, आरक्षक साविल चंद्रा, सोहन यादव, कीर्ति सिदार, सुरेंद्र पटेल, त्रिभुवन सिदार, गंगा यादव की अहम भूमिका रही है।

लैलूंगा पुलिस के हाथ आए मोटर सायकल चोरी के दो आरोपी, चोरी की मोटर सायकल बरामद

- तमनार के धौंराभांठा में पकड़े गए दोनों आरोपी, लैलूंगा अस्पताल के पास से चुराये थे मोटर सायकल

रायगढ़। दिनांक 06.08.2022 को लैलूंगा थाने के सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम एवं हमराह स्टाफ द्वारा मुखबीर सूचना पर सीएचसी लैलूंगा के पास से चोरी के आरोपी को धौंराभांठा तमनार में पकड़ा गया है, आरोपियों से चोरी की मोटरसाइकिल की जप्ती कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

दिनांक 03.08.2022 को मनोज कुमार राठिया निवासी मोहनपुर लैलूंगा द्वारा थाना लैलूंगा में सीएचसी लैलूंगा के पास से खड़ी उसकी मोटरसाइकिल HERO HF DELUXE मोटर सायकल वाहन क्रमांक CG 13 AK 1255 को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दरम्यान थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम खम्हार लैलूंगा के चमरा दास महंत और भारत अघरिया दोनों अस्पताल और बाजार आसपास खड़ी मोटरसाइकिल पर नजर रखते हैं और मौका देखकर बाइक चोरी कर ले जाते हैं। थाना प्रभारी द्वारा सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम को संदेहियों को तलब कर पूछताछ करने निर्देशित किया गया। एएसआई चंदन नेताम मुखबिर लगाकर दोनों संदेहियों का पता किया गया जिनके आमगांव तमनार में रहने की जानकारी मिलने पर लैलूंगा पुलिस की टीम तमनार पहुंची दोनों संदेहियों को तमनार धौराभाठा के पास पकड़ा गया। जिन्हें हिरासत में लेकर मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर 1 अगस्त की शाम की CHC लैलूंगा से मोटरसाइकिल सीडी डिलक्स सीजी 13 AK 1255 की चोरी कर ग्राम खम्हार में चमरा महंत के घर में छुपा कर रखना बताएं। आरोपियों की निशानदेही पर मोटरसाइकिल सीजी सीडी डिलक्स सीजी 13 AK 1255 कीमती 50,000 रुपए को जप्त कर चोरी के अपराध क्रमांक 234/ 2022 धारा 379, 34 आईपीसी के अपराध में दोनों आरोपी चमरा दास महंत पिता दुहन दास महंत 28 वर्ष निवासी खम्हार थाना लैलूंगा एवं भारत अघरिया पिता श्याम अघरिया उम्र 30 वर्ष निवासी खम्हार थाना लैलूंगा हाल मुकाम आमगांव थाना तमनार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी एवं मोटरसाइकिल की बरामदगी में सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी, आरक्षक जोन टोप्पो की अहम भूमिका रही है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 हेतु बूथ लेवल अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस विशेष पुनरीक्षण में पूर्व में जारी कुछ प्रक्रियाओं एवं प्रारूपों में संशोधन किए गए हैं। उक्त महत्वपूर्ण संशोधनों एवं प्रारूपों में परिवर्तन के संबंध में रायगढ़ तहसील अंतर्गत 153 बूथ लेवल अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों को दो चरण में आज प्रशिक्षण दिया गया।

जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने बताया कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण, सभी मतदाताओं के आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर एकत्रित करना, निर्वाचक नामावलियों विवरण तथा फोटो संबंधित त्रुटियों में सुधार, प्रारूप-1 से 8 की तैयारी आदि की जानी है। पुनरीक्षण की गतिविधियों में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 नवंबर 2022 को, दावा उपत्ति प्राप्त करने की अवधि 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक, दावा आपत्ति निराकरण 26 दिसंबर 2022 तक तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। आयोग द्वारा किए गए संशोधनों में फार्म 6,7,8 आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतदाता परिचय पत्र का नया स्वरूप, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक प्रविष्टियां ऑनलाइन गरुड़ एप के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देश सम्मिलित किए गए हैं। उक्त प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स सर्वश्री संतोष चंद्रा, अनिल गुप्ता, विजय चौधरी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उपस्थित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया।

थाना लैलूंगा में कथित डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

- इंजेक्शन लगाने पर 7 साल की लड़की की हुई थी मौत, मर्ग जांच पर अपराध दर्ज

रायगढ़। थाना लैलूंगा के मर्ग क्रमांक 128/2021 धारा 174 CrPC की मृतिका इरफा खान पिता नबाव खान उम्र 07 साल निवासी शांतिनगर लैलूंगा के जांच पर बुखार से तड़प रही बालिका इरफा खान को चेक कर इंजेक्शन लगाने वाले कथित प्रायवेट डाक्टर तिरथो राम प्रधान पर गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है जिसके इंजेक्शन लगाने उपरांत बालिका के मुंह, नाक से झाग निकलने लगा था।

मर्ग जांच दौरान मृतिका के पिता बताया कि दिनांक 01.11.2021 को सबेरे सोकर उठा तो लडकी इरफा खान को काफी तेज बुखार था। तब पडोस में रहने वाले तिरथो राम प्रधान निवासी ग्राम केनापारा जो लैलूंगा शांतिनगर में रहकर प्रायवेट ईलाज करता है, उसके घर ले जाकर लड़की को दिखाये। तिरथो लड़की को चेक कर उसे तीन इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद लडकी इरफा खान का तबियत और खराब होने लगा, लड़की बाथरूम गयी, बाथरूम से निकलने के बाद उसके मुंह, नाक से झाग निकलने लगा। तब तिरथो राम प्रधान बोला कि लडकी का ज्यादा तबियत खराब हो रहा है, चलो अस्पताल ले चलते है। तुरंत सीएचसी अस्पताल लैलूंगा गए। डॉक्टर लड़की को चेक कर मृत्यु हो गया है बताया। जांच दौरान तिरथो राम प्रधान के घर आसपास रहने वाले बताये कि तिरथो राम नस, हड्डी फैक्चर आदि का आयुर्वेदिक तरीके से ईलाज करता था, डिग्रीधारी था या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। आरोपी तिरथोराम प्रधान शांतिनगर के निवास और ग्राम केनापारा दोनों स्थान से फरार है, पतासाजी किया जा रहा है।

पहली बैठक में कलेक्टर रानू साहू ने दिए थे निर्देश और 1 माह में प्राकृतिक आपदा भुगतान के 37 प्रकरणों का हुआ निराकरण

- परिजनों को 1.48 करोड़ सहायता राशि जारी
- कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर तेजी से किया जा रहा प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण

रायगढ़। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए उनके लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश कलेक्टर रानू साहू ने जिले में पदभार ग्रहण करने के साथ ही अपनी पहली बैठक में दिए थे। जिससे पीडि़त परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली सहायता राशि का उन्हें जल्द भुगतान हो। उनके निर्देश पर तेजी से अमल करते हुए पिछले 1 माह में प्राकृतिक आपदा के 37 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। इसमें पीडि़त परिवारों को 1 करोड़ 48 लाख की राशि का भुगतान जारी किया जा चुका है।

कलेक्टर साहू ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा था कि प्राकृतिक आपदा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाए। लंबित होने के कारणों के आधार पर निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। जिससे पीडि़त परिवारों को मुआवजे की राशि जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि कई बार परिवार से किसी का चले जाना अपूर्णीय क्षति होती है। इसकी तो भरपाई करनी मुश्किल है लेकिन हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर उन्हे आर्थिक राहत प्रदान कर सकते हैं। कई बार ऐसी घटनाओं में घर के मुखिया का निधन हो जाता है, ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समय पर मुआवजा राशि मिलने से परिवार को आर्थिक संबल मिल जाता है। कलेक्टर साहू ने समय-सीमा की बैठकों में प्रकरणों के निराकरण की लगातार समीक्षा की। जिससे लगभग 1 माह के समय में 37 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया और परिवारजनों को 1 करोड़ 48 लाख की सहायता राशि जारी की गई है।

विकासखंडवार ये रहा आंकड़ा- रायगढ़ जिले में आरबीसी 6-4 के तहत माह जुलाई एवं अगस्त 2022 में कुल 37 प्रकरण आये थे। जिसे कलेक्टर रानू साहू के निर्देशन में राजस्व विभाग द्वारा शत-प्रतिशत निराकरण कर दिया गया है। जिसमें माह जुलाई 2022 में अनुविभाग पुसौर में 2, खरसिया में 2, घरघोड़ा में 5 एवं धरमजयगढ़ अनुविभाग में 2 कुल 11 प्रकरण शामिल थे। इसी तरह अगस्त 2022 में रायगढ़ में 5, खरसिया में 1, बरमकेला में 2, सारंगढ़ में 8, घरघोड़ा में 1, लैलूंगा में 5 एवं अनुविभाग धरमजयगढ़ में 4 प्रकरण कुल 26 प्रकरण शामिल थे।

इन परिस्थितियों में मिलती है सहायता राशि- प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिक विपत्तियों के कारण एवं गड्ढे में गिरने से मृत्यु होने परए सर्प, बिच्छु, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने, नदी, तालाब, बांध, कुआं, नहर, नाला में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना एवं रसोई गैस का सिलेण्डर फटने, खदान धसकने, लू से मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति, वारिश को 4 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा से शारीरिक अंग हानि पर भी सहायता राशि देने का प्रावधान है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480